म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल.

क्रमांक/बी–5/2/ई-अनुज्ञा/2018-19/1013 भोपाल, दिनांक : 21/12/2018

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
..............................(समस्त) मध्यप्रदेश.

विषयः–01 जनवरी 2019 से लागू ई अनुज्ञापत्र के परिवर्तित माडयूल के संबंध में ।

प्रदेश की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों में 01 जनवरी 2019 से ई– अनुज्ञापत्र का परिवर्तित माडयूल लागू किया जा रहा है । जिससे कृषि उपज के परिवहन हेतु प्ररूप–10 अनुसार जारी किये जाने वाले प्ररूप–9 (अनुज्ञापत्र) मैन्युअल के स्थान पर श्त प्रतिशत ऑन लाईन ही जारी किये जा सकेगें ।

ऑन लाईन अनुज्ञापत्र हेतु व्यापारियों/मण्डी कर्मयों को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर यूजर आई0डी व पासवर्ड प्रेषित किये गये । व्यापारियों को स्वंय अनुज्ञापत्र जारी करने की सुविधा उन्हें प्रदाय की गई है वह चाहे तो घर बैठे स्वंय अपनी लॉगिन आईडी से अनुज्ञापत्र जारी कर सकते है । परन्तु जो व्यापारी स्वंय अनुज्ञापत्र जारी करने में असमर्थ है उनको मण्डी में पदस्थ अमले के सहयोग से कर्मचारी की अपनी लॉगिन आई0डी द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया जा सकेगा ।

मण्डी प्रांगण के बाहर से वाणिज्यक संव्यवहार की दशा में व्यापारी/कर्मचारी के द्वारा कृषि उपज के परिवहन हेतु जारी किये जाने वाले ई–अनुज्ञापत्र हेतु व्यापारी को कृषि उपज के वाहन मण्डी प्रांगण प्रवेशद्वार पर लाने की आवश्यकता नही रहेगी । मण्डी प्रांगण/मण्डी प्रांगण के बाहर से वाणिज्यक संव्यवहार के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्र का ऐक्टिवेशन न करते हुये केवल सत्यापन का कार्य गंतव्य मण्डी समिति में किया जायेगा । मण्डी प्रांगण में अनुज्ञापत्र के आधार पर लाई गई उपज के अनुज्ञापत्र का आनलाईन सत्यापन मण्डी प्रवेशद्वार पर किया जायेगा। मण्डी प्रांगण के बाहर आनलाईन सत्यापन के लिये प्राप्त होने वाले अनुज्ञापत्र मण्डी प्रांगण के बाहर पदस्थ कर्मचारी द्वारा व्यापारी प्रतिष्ठान पर ही किया जायेगा।

इसी प्रकार भुगतान पत्र की पृथक पृथक/एकजाई प्रविष्टि/प्रदेश के बाहर से क्रय उपज की प्रविष्टि का कार्य व्यापारी/ कर्मचारियो की लार्गिन आई0डी पर दिया गया है । किन्तु जो व्यापारी उक्त कार्य आन–लाईन करने में असमर्थ है उनके स्थान उक्त मण्डी में पदस्थ अमले के द्वारा किया जा सकेगा । आनलाईन भुगतान पत्रक जारी करने वाले

व्यापारियों को मण्डी कार्यालय में उसकी प्रति जमा करने से मुक्त रखा गया है । व्यापारी द्वारा मैन्युअल जारी भुगतान पत्रक ही पूर्व की भांति मण्डी कार्यालय में जमा किये जायेगे ।

सचिव का दायित्व होगा कि उनकी अधिनस्थ मण्डी समिति में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को ई–अनुज्ञापत्र प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो यह सुनिश्चित करें । **साथ ही इस पत्र की प्रति व्यापारी ऐसोशिएसन अध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुये पावती प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेगें ।**

ई–अनुज्ञापत्र का आनलाईन कार्य अतिमहत्व का कार्य है यदि यह संज्ञान में आता है कि आपके/कर्मचारी के द्वारा उक्त कार्य में व्यापारी को आवश्यक सहयोग प्रदान नही किया जा रहा है तो ऐसी दशा में आपके/संबंधित कर्मचारी को उत्तरदायी मानते हुये कठोर कार्यवाही की जावेगी ।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/बी–5/2/ई-अनुज्ञा/2018-19/1014 भोपाल, दिनांक : 21/12/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 संयुक्त संचालक/उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय .... कृपया उपरोक्तानुसार अपने अंचल की मंडियों में ई–अनुज्ञापत्र प्रणाली लागू कराना सुनिश्चित करें।

2 अध्यक्ष, व्यापारी ऐसोशिएसन, कृषि उपज मण्डी समिति समस्त की ओर भेजकर अपेक्षा की जाती है कि आप संस्था के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी सदस्यों को उक्त आशय की जानकारी से अवगत कराने का कष्ट करें । जिससे व्यापारी बंधुओं को व्यापार में सुगमता हो सके ।

21/12/18

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल